क्रम-संख्या--533

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 25 अक्तूबर, 1980

कार्तिक 3, 1902 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग--1

संख्या 2924/सत्रह-वि0-1--11-71

लखनऊ, 25 अक्तूबर, 1980

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान, के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980 पर दिनांक 25 अक्तूबर, 1980 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1980 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) अधिनियम, 1980

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1980]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त राजकीय नलकूप अधिनियम, 1936 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा संक्षिप्त नाम

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 12 सन् 1936 में नई धारा 7, 8 और 9 का बढ़ाया जाना

2--संयुक्त प्रान्त राजकीय नलकूप अधिनियम, 1936 की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्--

भूमिगत पाइप लाइन इत्यादि का निर्माण करने का अधिकार

"7--कोई नलकूप अधिकारी या नलकूप अधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के अधीन कार्य करने वाला अन्य व्यक्ति समय-समय पर--

(क) किसी स्थावर सम्पत्ति में या उस पर या उसके नीचे, ऊपर, साथ-साथ या उसके आर-पार, किसी नलकूप की पाइप लाइन (जिसमें इन्टर-सम्प पाइप स्टैन्ड, वाल्व चेम्बर, और आउटलेट भी सम्मिलित हैं), नलकूप, कच्चा गूल, बरहा और मिट्टी की खनती को बिछा या खोद सकता है, उसकी मरम्मत, उसमें परिवर्तन, उसका परीक्षण या अनुरक्षण कर सकता है या उसे हटा सकता है और मिट्टी को खोद या तोड़ सकता है, और

(ख) ऐसे किसी प्रयोजन के लिए किसी भी समय ऐसी सम्पत्ति में प्रवेश कर सकता है।

भूमि के स्वामी या अध्यासी को नोटिस

8--(1) कोई ऐसा कार्य, जैसा धारा 7 में निर्दिष्ट है, तब तक निष्पादित नहीं किया जायगा, जब तक कि कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी को कम से कम अड़तालीस घंटे की लिखित नोटिस न दे दी जाय और ऐसे स्वामी या अध्यासी को कार्य निष्पादन के समय उपस्थित रहने का अधिकार होगा।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, किसी भूमि को खोदता है या तोड़ता है, वहां वह युक्तियुक्ततः पूर्ण शीघ्रता से उस जमीन को भरेगा और खोदी या तोड़ी गई मिट्टी को यथावत् ठीक कर देगा।

(3) नलकूप अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य के निष्पादन के प्रयोजनार्थ किसी सम्पत्ति को कम से कम क्षति पहुंचायेगा और ऐसी सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी को हुई किसी क्षति के लिए उसे विहित रीति से प्रतिकर देगा।

नियम बनाने की शक्ति

9--राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।"

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा,

सचिव।

No. 2924 (2)/XVII-V-1--11-79

Dated Lucknow, October 25, 1980

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajkiya Nalakoop (Sanshodhan) Adhiniyam, 1980 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 1980) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 25, 1980:

THE UTTAR PRADESH STATE TUBE-WELLS (AMENDMENT) ACT, 1980

[U. P. Act No. 21 of 1980]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An

Act

to amend the United Provinces State Tube-wells Act, 1936

It is hereby enacted in the Thirty first Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Tube-wells (Amendment) Act, 1980.

Insertion of new section 7, 8 and 9 in U. P. Act no. XII of 1936.

2. *After* section 6 of the U. P. State Tube-wells Act, 1936, the following sections shall be *inserted*, namely :—

Power to construct under ground pipe lines etc.

"7. Any Tube-well Officer or other person acting under the general or special order of a Tube-well Officer may, from time to time—

(*a*) place, dig, examine, repair, alter, maintain or remove a tube-well pipe line (including inter-sump, pipe stand, value chamber and outlet). Tube-well *Kachagul, barha* and earthen borrow pits, under, over, along, across, in or upon any immovable property and may, open or break-up the soil and,

(*b*) for any such purpose enter upon such property at any time.

Notice to owner or occupier of land

8. (1) No such work, as is referred to in section 7, shall be executed unless not less than forty-eight hours notice in writing before the commencement of work is given to the owner or occupier of the property and such owner or occupier shall have the right to be present during the execution of the work.

(2) Where any person, in exercise of the powers under this Act, opens or breaks up the soil of any land, he shall with all reasonable speed, fill in the ground and reinstate and make good the soil opened or broken up.

(3) A Tube-well Officer shall cause as little damage as possible to any property for the purpose of executing any work under this Act and shall in the prescribed manner, pay to the owner or occupier of such property compensation for any damage sustained by him.

Power to make rules

9. The State Government may, by notification in the *Gazette*, make rules for carrying out the purposes of this Act."

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 178 सा० (विधा०)–25–10–80–(2571)–1980–650 (मेके०)।